तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जयराम जाखड़ बनाम लो.सू.अ.(उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ) सू.अ.अ. अपील संख्या 231/2022	
16-08-2022	अपीलार्थी जयराम जाखड़ पुत्र पांचाराम जाट, पता ग्राम सूरपूरा खूर्द तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 02.02.2022 में (1) ग्राम पंचायत सुरपूरा खूर्द के अव्यस्क मतदाताओं के आवेदन पत्र (प्ररूप–6) एवं संलग्न दस्तावेजों की जानकारी मांगई गई थी व अन्य बिन्दुओं,, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया कि उसके उक्त आवेदन पत्र पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट भोपालगढ द्वारा पत्रांक/निर्वाचन/आरटीआई/2022/27 दिनांक 13.04.22 के जरिये लिखा गया कि ' आप द्वारा दिनांक दिनांक 02.02.22 का प्रस्तुत सूचना का अधिकार अधि. 2005 के प्रार्थना पत्र में वर्ष 2022 में सम्पन्न पंचायत आम चुनाव 2020 की निर्वाचक नामावली में ग्राम पंचायत सुरपूरा खुर्द के वार्ड के बारे में जोड़े गये मतदाताओं के आवेदन चाहे गये है कि चुनाव शाखा से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 11.04.2022 के अनुसार सूचना से संबंधित आवेदन पत्र दो वर्ष पूर्व के है एवं कार्यालय के चुनाव शाखा में काफी ढूंढने पर भी नहीं पाये गये है अतः सूचना दिया जाना संभव नहीं है। उक्त सूचनासे संबंधित रिकॉर्ड मिलने पर सूचना उपलब्ध करवा दी जायेगी।' अपीलार्थी ने अपील में यह भी बतलाया कि उसके द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 02.02.22 की निरन्तरता में दिनांक 30.05.2022 को दिये गये प्रार्थना पत्र पर अभी तक उसे सूचना नहीं दी गई है जो दिलवाई जाय। चूंकि लोक सूचना अधिकारी से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब करने के पश्चात् भी प्रेषित नहीं की अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बारे में पुनः वस्तुस्थिति से प्रार्थी को अवगत करवाया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	